

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>हनुमान राम</b>  <b>बनाम</b>  <b>लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर)</b>  <b>सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353241127215143</b></p>	<p>न. व तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>20/05/25</p>	<p>अपीलार्थी हनुमान राम निवासी ग्राम बासनी निकुम्बा तहसील जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 03.03.2025 को डांगीयावास से चोखा जोधपुर रिंग रोड सड़क की चौड़ाईकरण में इस सड़क के बासनी निकुम्बा गांव के खसरा नंबर 13/1 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई उक्त अवाप्त भूमि की निशानदेही करवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड II जोधपुर ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 1992 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर भू अभिलेख माणकलाव, पटवार मण्डल जालेली फौजदारा, पटवार मण्डल कांकेलाव की कमेटी बना कर डिमारकेशन कराने का निवेदन किया गया। उक्त पृष्ठांकित पत्र पर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के द्वारा जरिए तहसीलदार एवं सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा अवाप्त भूमि 1 बिस्वा कृषि भूमि पर डिमारकेशन किये गये कृषि भूमि खसरा नंबर 13/1 पटवार हल्का जालेली बाद डिमारकेशन कृषि भूमि की प्रमाणिक जानकारी जिसमे उक्त डिमारकेशन भूमि की लम्बाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल वर्ग गज/वर्ग मीटर में अभिलिखित हो, नक्शा नाप जोक प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध करवाने के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल)  जिला कलक्टर, जोधपुर</p>	

**Signature valid**

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.05.20 18:21:23 IST  
Reason: Approved